-:निर्णय:-

दिनांक 23.09.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध एवं प्रमाणित पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो शीर्षक वाद पत्र में निवेदित किया गया है।

यह कि वादी संख्या 1 गुरदीप सिंह के नाम चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 7/7, खाता गुरदीप सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 1.683 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादी सख्या 2 जगदीप सिह के नाम चक 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 17/43, खाता कृपाल कौर आदि जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल .506 हैक्टेयर में 85/506 हिस्सा यानि .085 हैक्टेयर एंव चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 2/2, खाता अमृतपाल सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में दर्ज कुल 18.924 हैक्टेयर आराजी मे 367/9462 हिस्सा यानि .734 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 1 प्रीतम सिह के नाम चक नम्बर 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 8/6, खाता कपूर सिह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 7.655 हैक्टेयर आराजी में 1936/22965 हिस्सा यानि 0.645 हैक्टेयर, चक नम्बर 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर तथा चक नम्बर 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 9/9, खाता कपूर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी में 48/253 हिस्सा यानि 0.240 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रतिवादीया संख्या 2 बलवन्त कौर के नाम चक नम्बर 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के नाम वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 5 में दर्ज कृषि भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से अर्सा दराज पूर्व विनिमय किया हुआ है। मुताबिक विनिमय वादीगण एंव प्रतिवादी सख्या 1 व 2 के हिस्सा में अच्छी मन्दी कृषि भूमि अनुसार निम्न कृषि भूमि आई है -

(क) वादी संख्या 1 गुरदीप सिंह -

(i) चक 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 8/6, खाता कपूर सिह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 7.655 हैक्टेयर आराजी में 1936/22965 हिस्सा यानि .645 हैक्टेयर आराजी।

(ii) चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर आराजी।

(iii) चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 9/9, खाता कपूर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी में 48/253 हिस्सा यानि .240 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिंह का नाम कलमजन कर वादी अपने नाम 2.403 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

(ख) वादी संख्या 2 जगदीप सिंह - चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खाता से प्रतिवादीया संख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 जगदीप सिंह अपने नाम 1.518 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

(ग) प्रतिवादी सख्या 1 प्रीतम सिंह - चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 7/7, खाता गुरदीप सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 1.683 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खाता से वादी सख्या 1 गुरदीप सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिंह अपने नाम 1.683 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

(घ) प्रतिवादीया सख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर -

(i) चक 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 17/43, खाता कृपाल कौर आदि जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल .506 हैक्टेयर में 85/506 हिस्सा यानि .085 हैक्टेयर आराजी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

(ii) चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 2/2, खाता अमृतपाल सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में दर्ज कुल 18.924 हैक्टेयर आराजी मे 367/9462 हिस्सा यानि .734 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खातो से वादी संख्या 2 जगदीप सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर अपने नाम 0.819 हैक्टेयर आराजी की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

यह कि वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि मुताबिक विनिमय वादीगण के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि एक दूसरे के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने वादीगण अपनी इच्छा अनुसार अपने आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग नही कर पा रहे है तथा समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का लाभ व कृषि भूमि को रहन, बैय करने से वंचित हो रहे है, इस कारण वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की चरण सख्या 2 से 5 में दर्ज कृषि भूमि का वाद पत्र की चरण सख्या 6 के अनुसार वादीगण के आधिपत्य व धारण की कृषि भूमि की मुताबिक विनिमय घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी सख्या 03 व 04 को प्रशनगत कृषि भूमि का भू-धारक होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाया है ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके।

यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :-

(क) कि वाद पत्र की दफा 2 से 5 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी का वाद पत्र की चरण संख्या 6 में अंकितानुसार मुताबिक विनिमय घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता शमशेर सिंह उपस्थित व जवाबदावा सहमति का पेश किया। प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किंया कि वाद पत्र मुताबिक वाद पत्र डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेशः</u>-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः-

(क) वादी संख्या 1 गुरदीप सिंह-

(i) चक 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 8/6, खाता कपूर सिह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 7.655 हैक्टेयर आराजी में 1936/22965 हिस्सा यानि .645 हैक्टेयर आराजी।

(ii) चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर आराजी।

(iii) चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 9/9, खाता कपूर सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 1.265 हैक्टेयर आराजी में 48/253 हिस्सा यानि .240 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिंह का नाम कलमजन कर वादी के नाम 2.403 हैक्टेयर आराजी की घोषणा की जाती है।

(ख) वादी संख्या 2 जगदीप सिंह - चक 34 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 25/21, खाता कर्म सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल 6.325 हैक्टेयर आराजी में 6/25 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खाता से प्रतिवादीया संख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 जगदीप सिंह के नाम 1.518 हैक्टेयर आराजी की घोषणा की जाती है।

(ग) प्रतिवादी सख्या 1 प्रीतम सिंह - चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 7/7, खाता गुरदीप सिंह, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में कुल 1.683 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खाता से वादी सख्या 1 गुरदीप सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 प्रीतम सिंह के नाम 1.683 हैक्टेयर आराजी की घोषणा की जाती।

(घ) प्रतिवादीया सख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर -

(i) चक 33 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 17/43, खाता कृपाल कौर आदि जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 में दर्ज कुल .506 हैक्टेयर में 85/506 हिस्सा यानि .085 हैक्टेयर आराजी।

(ii) चक 31 एम.जे.डी.'बी' तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 2/2, खाता अमृतपाल सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 में दर्ज कुल 18.924 हैक्टेयर आराजी मे 367/9462 हिस्सा यानि .734 हैक्टेयर आराजी।

नोट - उक्त खातो से वादी संख्या 2 जगदीप सिंह का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2 बलवन्त कौर उर्फ कुलवन्त कौर के नाम 0.819 हैक्टेयर आराजी की घोषणा की जाती है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो,तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोट- रक्बा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ